NATIONAL CO-ORDINATION COMMITTEE OF PENSIONERS ASSOCIATIONS

(Registered under the T.U. Act RTU-01/2021)

PAN NO: AAEAN8586F

Shiva Gopal Mishra	K.Ragavendran	G.Kumar
President Secretary	General	Treasurer
97176 47594	94 4 4 919295	94 4 4 311728

No. **NCCPA/MH/Andolan/2026/09/04.** Dated : **21/09/2026**

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय समन्वय समिति पेंशनर्स एसोसिएशन (NCCPA) एवं फोरम फॉर सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन (FCPA) के आह्वान पर पेंशनर्स द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन के दूसरे चरण के तहत 17 से 19 सितंबर 2026 तक देशभर की राज्य राजधानियों में तीन दिवसीय धरना सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। महाराष्ट्र को छोड़कर देश के सभी राज्यों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों को सीमित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। पेंशन कोई अनुदान या खैरात नहीं, बल्कि स्थगित वेतन (Deferred Wage) और संवैधानिक अधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने वर्ष 1982 में पेंशन समानता से संबंधित नक्कारा मामले में फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया था।

पेंशन वैलिडेशन एक्ट से पेंशनर्स को कठिनाइयाँ

पेंशनर्स से संबंधित एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर 1982 के अपने फैसले में कहा था कि पेंशनर्स एक समरूप वर्ग (Homogeneous Class) हैं। पेंशन कोई दान या खैरात नहीं है, बल्कि यह स्थगित वेतन है।

43 वर्ष बाद, 25 मार्च 2025 को वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया पेंशन वैलिडेशन एक्ट उस न्यायिक निर्णय के प्रभाव को समाप्त करता है। यह सरकार को 1 जून 1972 से पूर्वव्यापी प्रभाव से पेंशनर्स के बीच उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर भेदभाव करने की शक्ति प्रदान करता है।

इसका परिणाम यह हो सकता है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) की सिफारिशें, जिन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है, लागू होने के समय बड़ी संख्या में सिविल पेंशनर्स को पेंशन संशोधन से वंचित किया जा सकता है।

भारत की विभिन्न पेंशन व्यवस्थाओं में कितने लोग शामिल हैं?
वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार:

Shiva Gopal Mishra	K.Ragavendran	G.Kumar
President Secretary	General	Treasurer
97176 47594	94 4 4 919295	94 4 4 311728

No. **NCCPA/MH/Andolan/2026/09/04** Dated : **21/09/2026**

2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी पेंशनर्स के लिए पेंशन संशोधन सुनिश्चित किया जाए।

4. BSNL/MTNL पेंशनर्स को 1 दिसंबर 2017 से पेंशन संशोधन दिया जाए तथा लगभग 4.5 लाख पेंशनर्स को नौ वर्षों से लंबित पेंशन संशोधन तत्काल प्रदान किया जाए।
5. बैंक पेंशनर्स को पेंशन अपडेटेशन दिया जाए। लेख के अनुसार 5.5 लाख बैंक पेंशनर्स को 1986 से पेंशन संशोधन नहीं मिला है और यह बैंक कर्मचारियों की पिछले 30 वर्षों से चली आ रही मांग है।
6. स्वायत्त संस्थानों के पेंशनर्स को CPC और CGHS के दायरे में लाया जाए। ICAR, CSIR और विश्वविद्यालयों सहित 600 से अधिक संस्थानों के पेंशनर्स को कथित रूप से वेतन आयोग के संशोधन तथा CGHS चिकित्सा सुविधा से वंचित किया जा रहा है।
7. 50% महंगाई भत्ते/महंगाई राहत (DA/DR) को वेतन एवं पेंशन में मर्ज किया जाए।
8. 8वें वेतन आयोग में देरी को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स को अंतरिम राहत दी जाए। आयोग की रिपोर्ट 2027 तक विलंबित होने की संभावना को देखते हुए अंतरिम राहत प्रदान की जाए।
9. पेंशन कम्यूटेशन की बहाली 10 वर्ष 8 महीने के बाद की जाए। वर्तमान अवधि 15 वर्ष है। कम्यूट की गई राशि 10 वर्ष 8 महीने में ही वसूल हो जाती है और शेष अवधि के लिए प्रभावी रूप से ब्याज लिया जा रहा है।
10. सभी पेंशनर्स को कैशलेस CGHS सुविधा प्रदान की जाए, CGHS अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाए तथा दवाओं की कमी को दूर किया जाए।
11. पेंशन में समानता सुनिश्चित की जाए। जो कर्मचारी एक ही पद और समान वेतनमान से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें समान पेंशन मिलनी चाहिए। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की भावना के अनुरूप है।

निष्कर्ष

"पेंशन कोई खैरात नहीं है; यह एक अधिकार है।"

महाराष्ट्र में आंदोलन का कार्यक्रम

महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के कारण NCCPA महाराष्ट्र समिति ने कार्यक्रम को 28 से 30 सितंबर 2026 तक आयोजित करने का निर्णय लिया है।

28 सितंबर 2026

महाराष्ट्र राज्य सम्मेलन – केंद्रीय सरकार पेंशनर्स

स्थान: रेलवे इंस्टीट्यूट हॉल, ठाणे रेलवे स्टेशन

29 एवं 30 सितंबर 2026 दो दिवसीय धरना

समय: सुबह 10.00 बजे से

स्थान: आजाद मैदान, CST स्टेशन के सामने, मुंबई

NATIONAL CO-ORDINATION COMMITTEE OF PENSIONERS ASSOCIATIONS

(Registered under the T.U. Act RTU-01/2021)

PAN NO: AAEAN8586F

Shiva Gopal Mishra	K.Ragavendran	G.Kumar
President Secretary	General	Treasurer
97176 47594	94 4 4 919295	94 4 4 311728

No. **NCCPA/MH/Andolan/2026/09/04** Dated : **21/09/2026**

NCCPA के अखिल भारतीय नेता तथा विभिन्न पेंशनर्स/सेवानिवृत्त कर्मचारी ठाणे में आयोजित सम्मेलन तथा दोनों दिन के धरने में शामिल होंगे।

हम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक/विजुअल तथा सोशल मीडिया से अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए अपने ऑडियो-वीडियो रिपोर्टर्स को भेजें।

प्रेस मीट

दिनांक: 23 सितंबर 2026

समय: दोपहर 3.00 बजे

स्थान: मीडिया हॉल, मराठी पत्रकार संघ, CST स्टेशन के सामने, मुंबई

आपसे अनुरोध है कि प्रेस मीट में अपने प्रतिनिधि/रिपोर्टर को भेजकर कार्यक्रम को कवर करें।

धन्यवाद।

कॉम एम आय जकाती

कन्व्हेनर NCCPA महाराष्ट्र

9422093322

NCCPA महाराष्ट्र – संलग्न संघटनांचे प्रमुख समन्वयक / नेते

1. कॉ. अनुप कुमार – रेल्वे
2. कॉ. जे. एस. यादव – MTNL
3. कॉ. डी. के. रहाटे – पोस्ट्स अँड RMS
4. कॉ. मंगेश परब – पोस्ट्स अँड RMS
5. कॉ. दिनेश शेट्टी – सिव्हिल अकाउंट्स
6. कॉ. आनंद गोंधळेकर – इन्कम टॅक्स
7. कॉ. सत्यनारायण – संरक्षण विभाग
8. कॉ. व्ही. के. पाटील – अणुऊर्जा
9. कॉ. प्रकाश हळदणकर – MTNL
10. कॉ. एम. व्ही. नाईक – CGPA नागपूर
11. कॉ. जे. पी. धांदरे – नागपूर
12. कॉ. के. व्ही. जयराज – अणुऊर्जा
13. कॉ. टी. आर. जनार्धनन – सिव्हिल अकाउंट्स
14. कॉ. एन. हरिदासन – रेल्वे
15. कॉ. शरद पवार – पोस्ट्स अँड RMS
16. कॉ. विलास माने – रेल्वे
17. कॉ. गुरुप्रीत सिंग – नागपूर
18. कॉ. प्रल्हाद कुलकर्णी – MTNL
19. कॉ. टी. व्ही. राजीवन – सिव्हिल अकाउंट्स
20. कॉ. सी. एस. सुर्वे – MES
21. कॉ. अशोक मनानी – BSNL
22. कॉ. ज्ञानदेव गायकर – BSNL
23. कॉ. मुथु वीरप्पन – नौदल